148/3:55

संख्या– / XVIII(1)/2017-01(09)/2015

प्रेषक,

बी0एम0 मिश्र,
अपर सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 06 जून, 2017

विषयः– नवसृजित तहसील, स्याल्दे की भूमि को विभाग के नाम जरिये बिलेख पंजीकृत करने हेतु पंजीयन शुल्क तथा कम्प्यूटरी/इलैक्ट्रानिक शुल्क की धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–721/पांच–रा0प0/2017, दिनांक–5 मई, 2017 एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–4174/नौ–16(2006–07, दिनांक–24 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि ग्राम तिमली के कास्तकारों द्वारा नवसृजित तहसील, स्याल्दे को दान स्वरूप उपलब्ध करायी गयी भूमि को विभाग के नाम जरिये बिलेख पंजीकृत करने हेतु पंजीयन शुल्क ₹45,320=00 (रूपये पैतालीस हजार तीन सौ बीस मात्र) एवं बिलेख के कम्प्यूटराईज्ड प्रोसेसिंग शुल्क ₹10 प्रति पृष्ठ के अनुसार अतिरिक्त देय के साथ होने वाले व्यय के दृष्टिगत् वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹46,000=00 (रूपये छियालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त भूमि को विभाग के नाम जरिये बिलेख पंजीकृत किये जाने के पश्चात् पंजीकृत की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।
2. पंजीकृत पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां कोई आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रत्येक दशा में मितव्ययत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय और मितव्ययत्ता के सम्बन्ध में योजना बना ली जाय। तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बजट का लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित की जाय। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

RC JOSHI, RO
-90-

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक–31 मार्च, 2017 तक कर लिया जाय, तदोपरान्त अप्रयुक्त धनराशि समर्पित किया जाना सुनिश्चित की जाय।

02. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–06 लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–093 जिला स्थापनायें–03 कलेक्ट्री स्थापना के अन्तर्गत मानक मद–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

03. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–44 मतदेय/XXVII(5)/2017, दिनांक–01 जून, 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या–605/XVIII(1)/2017-01(09)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी),ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (ऑडिट) वैभव पेलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. बजट अधिकारी साईवर कोषागार, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश आर्य)
अनु सचिव।

RC JOSHI. RO
- 91 -